



# HAPUR POLICE



## OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाकर ठगी करने के मामले में 05 आरोपियों को 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 14.01.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाकर ठगी करने के मामले में 05 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 09.06.2019 को अभियुक्तगण 1.अशोक व 2.धर्मपाल पुत्रगण रघुवीर 3.श्रीमति सुषमा पत्नी धर्मपाल निवासीगण चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ 4. अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर 5.चन्द्रकिरण पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बागडपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा फर्जी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाकर लोगो से ठगी करने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 470/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/4/5/6 प्राइसचीट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 31.01.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 14.01.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एसीजेएम हापुड़ द्वारा 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सुनील जी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री अवधेश मौहर, पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्नर है0का0 मनीपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।

